

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.17(19)नविवि / नियम / 2019

जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024 के अधीन स्थापित होने वाले पात्र उद्यमों को उक्त योजना के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी/समिति द्वारा जारी पात्रता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन देय प्रीमियम में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है तथा आवंटन के समय अदा किये गये 25 प्रतिशत प्रीमियम की राशि का पुर्णभरण उद्यमी/आवेदक को ऐसे उद्यम में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना के अधीन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा। किन्तु उक्त योजना में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन होने पर प्रदत्त की गई छूट एवं पुर्णभरण की गई राशि मय ब्याज उक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार वसूल की जावेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर समस्त स्थानीय निकायों को प्रस्तारित किये जाने हेतु।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राज0 जयपुर।
8. आयुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण।
9. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
11. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राज0 जयपुर।
15. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :20-12-2024 12:01:12